भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या **214***

जिसका उत्तर मंगलवार, 9 मार्च, 2021/18 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है।

यूरिया की तस्करी

214* . श्री एम. सेल्वराज:
डॉ. ए. चेल्लाकुमार:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरिया और अन्य उर्वरकों की कथित रूप से पड़ोसी देशों को तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उर्वरकों की तस्करी के राज्य-वार दर्ज किए गए मामलों सहित देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री

(डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

"यूरिया की तस्करी" के संबंध में श्री एम. सेल्वराज और डॉ. ए. चेल्लाकुमार द्वारा दिनांक 09.03.2021 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.214* का संदर्भित विवरण

****

(क): भारत सरकार ने उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत एक आवश्यक वस्तु घोषित किया है और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 अधिसूचित किए हैं। राज्य सरकारों को उर्वरकों की कालाबाजारी/तस्करी रोकने के साथ ही न्यूनतम खुदरा मूल्य पर उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित करने की पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है। राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध तलाशी लेने, माल जब्त करने और दंडात्मक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है।

पड़ोसी देशों को यूरिया के विपथन तथा तस्करी के संबंध में, भारत के साथ साझा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्यों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, ऐसी घटनाओं की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, बिहार सरकार ने रिपोर्ट दी है कि स्थानीय लोगों द्वारा साइकिल पर अथवा सिर पर उठाकर उर्वरक ले जाए जाने आदि के मामले की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध तलाशी लेने, माल जब्त करने और दंडात्मक कार्रवाई करने की पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई हैं। तथापि, विभाग ने पड़ोसी देशों में यूरिया के विपथन को रोकने हेतु सीमाओं पर नियंत्रण एवं चौकसी बढ़ाने के लिए समय-समय पर गृह मंत्रालय (सीमा प्रबंधन) से अनुरोध किया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने नेपाल, बंग्लादेश तथा म्यांमा की सीमाओं पर स्थित विभिन्न राज्यों तथा सुरक्षा बलों यथा- सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स से अनुरोध किया है कि भारत से पड़ोसी देशों को यूरिया की तस्करी को रोकने हेतु सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई जाए।

****